Success Story of Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011

Jaipur Metro 03.05.2017

घटना–2

राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 03.05.2017 को **शीर्षक बेटी दिव्यांग है फायदा उठाकर किया दुष्कर्म, अब छह माह का गर्भ, पुलिस भी नहीं सुनती** से एक खबर प्रकाशित हुई। म्यांमार शरणार्थी नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की खबर पर माननीय न्यायाधिपति, श्रीमान् के. एस. झवेरी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तुरंत प्रसंज्ञान लेते हुए सदस्य सचिव श्री एस. के. जैन को निर्देशित किया कि वे इस प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करें।

निर्देशानुसार सदस्य सचिव श्री एस. के. जैन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जयपुर महानगर के पूर्णकालिक सचिव श्री सत्यप्रकाश सोनी को निर्देशित किया कि वे पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीडिता को प्रतिकर दिलाए जाने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करें तथा साथ पीडित की देखभाल व उपचार के संबंध में जानकारी लेने के लिए निर्देश दिए। इसकी अनुपालना में जिला प्राधिकरण के द्वारा पी एल वी श्रीमती प्रतिभा भटनागर तथा लिपिक श्री विवेक शर्मा को घटना की जानकारी लेने हेतु भेजा गया। पीडित परिवार के हिन्दी भाषी नहीं होने की वजह से एक अन्य म्यांमार शरणार्थी दुभाषिये श्री नूरूला की सहायता ली गई। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शाह आलम पुत्र इज्जत अली बरमीज शरणार्थी है तथा 02 साल से जयपुर में परिवार सहित रह रहा है तथा कबाडी का काम करता है। वर्तमान में वैलकम कॉलोनी, खातीपुरा में परिवार सहित रह रहा है। यहाँ से पहले वह एक साल तक युनुस नाम के बरमीज शरणार्थी के कबाडी गोदाम में रहता था। उसकी 14 वर्षीय पुत्री हाजरा बानो उसके साथ रहती है। एक अन्य बरमीज शरणार्थी जिसका नाम मोबलोम है, पिछले कुछ समय से युनुस, इमाम हुसैन तथा फरदीन आलम के सहयोग से हाजरा बानो के साथ दुष्कर्म करता रहा जिससे पीडिता गर्भवती हो गई। पीडिता के गर्भवती होने पर दुष्कर्म होने की बात पता चली जिसके बाद अभियुक्तगण के खिलाफ पुलिस थाना सोडाला में एफ आई आर सं. 65/17 अन्तर्गत धारा 376 डी आई पी सी व 3/4 पोक्सो एक्ट में दर्ज करवाई गई।

Success Story of Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011

Jaipur Metro 03.05.2017

इस संबंध में पीडिता के परिजनों को रालसा द्वारा संचालित राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 की जानकारी दी गई तथा उनसे इस संबंध में आवेदन प्राप्त किया गया।

जिला प्राधिकरण द्वारा पीडिता का आवेदन प्राप्त कर बैठक का आयोजन किया गया और पीडिता के लिए अंतरिम प्रतिकर के रूप में 1 लाख रूपए प्रदान किए जाने के आदेश दिए गए, जिनमें से 50,000 रूपए नकद जरिए बचत बैंक खाता तथा 50,000 रूपए की एफ.डी.आर. 01 वर्ष के लिए करवाए जाने के निर्देश दिए गए, ताकि पीडिता तथा उसके होने वाले शिशु की उचित देखभाल की जा सके। साथ ही थानाधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए कि उक्त प्रकरण में विशेष तौर पर कार्यवाही की जावे तथा अपराधियों को पकड़कर सजा दिलवाई जावे।

****